30-6-23

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो जाने जाने वाद पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी (वादी) अभिभाषक ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिससे वादीगण अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रतिवादी तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा, ग्राम गलाना के खसरा नम्बर 208 रकबा 0.73 हैक्टर भूमि पर भूखण्ड काटे जाकर लाल मिट्टी से रास्ता तथा प्लाटनुमा मुड्डिया गढी हुई है तथा उक्त खसरा नम्बर 208 पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मुताबिक राजस्व अभिलेख, प्रकरण की विवादित आराजी कृषि आराजी है दर्ज जिसका कृषि कार्य में ही उपयोग – उपभोग करने हेतु सम्बन्धित खातेदार काश्तकार पाबन्द होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अनुसार वादी अपने वाद अथवा उसके किसी भाग को किसी भी समय प्रत्याहरित (withdraw) करने हेतु स्वतन्त्र है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण न्यायालय में वाद पेश करने तथा उसे विड्रो करने हेतु स्वतन्त्र है किन्तु कृषि आराजी पर अकृषि कार्य करने से प्रतिबन्धित है। अतः तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.73 हैक्टर का सम्परिवर्तन कराये बिना अकृषि कार्य किये जाने की जांच कर भू राजस्व नियमों के तहत सम्बन्धित खातेदारान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा आप द्वारा की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अनुसरण में वाद वादीगण एज विड्रो खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद का निस्तारण हो जाने से प्रकरण की विवादित आराजी पर जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः समाप्त है।